सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन
COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस सं0: 6607 / 1014 / 2016 दिनांक: 23.06.2017

कु0साक्षी तिवारी
ग्राम व पोस्ट – कुर्चा R1884
थाना – बेवाना, जिला – अम्बेडकरनगर
उत्तर प्रदेश – 224122 वादी

बनाम

डाक विभाग
(द्वारा) सचिव R1885
डाक भवन, संसद मार्ग
नई दिल्ली। प्रतिवादी

सुनवाई की तिथि : 09.06.2017 दोपहर 1600 बजे।

उपस्थित :

- सुश्री साक्षी तिवारी, श्रीआशुतोष तिवारी और श्री शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी, शिकायतकर्ता।
- श्री देवेन्द्र कुमार सैनी, पोस्टल असिस्टेन्ट एवं श्री रणवीर सिंह तोमर, प्रवर अधीक्षक, प्रतिवादी की ओर से।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता कु0 साक्षी तिवारी, 80 प्रतिशत अस्थि बाधित ने अपने पिता के स्थान पर मृतक आश्रित कोटे से संबंधित शिकायत – पत्र दिनांक रहित निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

2. मामला अधिनियम की धारा 59 के अन्तर्गत प्रतिवादी से दिनांक 19.08.2016 को उठाया गया। प्रतिवादी के पत्र दिनांक 19.09.2016 एवं प्रार्थी के पत्र दिनांक रहित के मद्देनज़र दिनांक 09.06.2017 को सुनवाई रखी गई ।

3. सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से उपस्थित प्रतिनिधियों ने बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा उक्त मामला माननीय केंद्रीय न्यायाधिकरण अदालत, लखनऊ में भी दायर है जिसकी पुष्टि शिकायतकर्ता ने भी की।

4. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् यह पाया गया कि उक्त मुद्दा मूल आवेदन संख्या 293 / 2016 के अर्न्तगत माननीय केन्द्रीय न्यायाधिकरण अदालत, लखनऊ में के समक्ष विचाराधीन है इसलिए केस बन्द किया जाता है।

(डॉ कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाषः 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in
(कृपया भविष्य में पत्राचार के लिए उपरोक्त फाईल/केस संख्या अवश्य लिखें)
(Please quote the above file/case number in future correspondence)